निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 47 / 2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 10 / 16 / 2023
निर्णय दिनांक – 27 / 01 / 2025

अनवान

1. नारायणलाल पिता चन्दनमल कलाल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. कमला देवी पत्नी बस्तीमल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. मकनलाल पिता चन्दनमल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
4. श्यामलाल पिता बस्तीमल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता मिठालाल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. फतेहलाल पिता मिठालाल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. रघुलाल पिता मिठालाल जाति कलाल निवासी मियाला वैराग्या तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द (राज.)।

अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम मियाला पटवार हल्का मियाला, भू0अ0नि0 देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द की सीमा में खाता संख्या 42 खसरा संख्या 812, 815, 822, 824, 826, 831, 840, 842, 851, 852, 860, 861 कुल किता 12 रकबा 1.9400 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 272 खसरा संख्या 857 रकबा 0.2300 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 108 आराजी संख्या 877 रकबा 0.4300 हैक्टेयर स्थित है। कॉलम संख्या 01 के भाग अ में एवं भाग–ब व भाग–स में वर्णित भूमिमें प्रार्थीगण का माफिक जमाबंदी अनुसार हिस्सा स्थित हैं जो कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी होकर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कुलिया आराजियात में अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरहा करते चले आ रहा है। किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमा से मिलते हुए पडौसी है एंव हर समय फसल की कटाई एंव बुवाई के विवाद सीमा बाबत् बना रहता है तथा अनाव यक प्रार्थी को मुकदमे बाजी के लिये विवश होना पडता है। मौके पर अशांति कायम रहती है प्रार्थी भाांति पूर्वक काश्त ,उपयोग व उपभोग भूमि का नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि के पास विपक्षीगण का पडौसी है प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से विपक्षीगण की भूमि मिलती हुई है। व विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त भूमि का पडोसी है। विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य भूमि सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि को अपना बता

सहायक कलेक्टर, जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

कर उक्त भूमि के चारों तरफ नाजायत अतिक्रमण कर रखा है तथा हर समय उक्त भूमि की सीमा बाबत् झगड़ा–फसाद करते रहते हैं वर्तमान में भी विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमे दर्ज हो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त भूमि की पत्थरगडी कराना चाहते हैं जिससे भूमि संबंधी विवाद समाप्त हो जावें। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है कि नपती, पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थी को फसलो की बुवाई, कटाई के समय विपक्षी आराजीयात बाबत् जो हर वक्त विवाद पैदा होता है वह हमेशा, हमेशा के लिये समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थी भाान्ति पूर्वक काश्त वगैरहा व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 के भाग–अ एवं भाग–ब व भाग–स में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा बाद आदेश वक्त पत्थरगढ़ी विपक्षीगणों को मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द कराया जावे तथा पत्थरगढ़ी आदेश की पालना सेटलमेन्ट टीम से कराने हेतु निर्देश प्रदान कराये जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार– प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 01 के जवाब में निवेदन है कि भूमि सामलाती खातेदारी की है जिसकी पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती है क्योंकि उक्त भूमि की विपक्षीगण के पिता मीठालाल खाता संख्या 272 में खातेदार है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 02 अस्वीकार है प्रार्थी ने गलत तथ्य प्रार्थना–पत्र में अंकित किए है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 03 अस्वीकार है विपक्षी ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है एवं ना ही कोई न्यायालय में मुकदमा

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 04 अस्वीकार है प्रार्थी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी नहीं है क्योकि उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है बिना बंटवारा कराएं पत्थरगढ़ी किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 05 कानूनी है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 06 कानूनी है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 07 के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र ही खारिज है तो पालना का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 08 कानूनी है। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है क्योंकि भूमि सामलाती खातेदारी की है। यह कि खाता संख्या 272 में विपक्षी के पिताजी स्वयं सामलाती खातेदार है इसलिए बिना बंटवारा कराएं पत्थरगढ़ी का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र विधि द्वारा वर्जित है इसलिए सव्यय खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश पत्थरगढ़ी प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गयी है जिससे जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि खाता संख्या 272 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पिता संयुक्त खातेदार है। संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु समस्त खातेदार की सहमति आवश्यक है। उक्त विवेचन के अनुसार पत्थरगढ़ी आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

नारायणलाल व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य
प्रकरण संख्या:– 47 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:–27 / 01 / 2025

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27 / 01 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)